आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित

1 2 3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0– 16/2018–19

आवेदक– मोसमात पुनम

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– मालची नं0– 04

आदेश

2/5/22

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मौजा मालची नं0– 04 के 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत नोटिस निर्गत किया गया एवं जाँच हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी को भेजा गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से कहा है कि मेरे पति स्व0 उज्जवल कुमार, सा0– सरकण्डा, पो0– सरकण्डा, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज मौजा मालची नं0– 04 के पट्टाधारी बहाल प्रधान थे। जिनकी मृत्यू दिनांक 19.08.2018 को हो चुकी है। वर्तमान में आवेदिका मोसमात पुनम मौजा के कार्यवाहक प्रधान का कार्य कर रही हैं। पूर्व बहाल प्रधान की मृत्यू के बाद मौजा का प्रधानी पद रिक्त है और आवेदिका पूर्व प्रधान का उत्तराधिकारी है। आवेदिका द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा मालची नं0– 04 के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 474/रा0, दिनांक 19.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदिका मोसमात पुनम, पति– स्व0 उज्जवल कुमार, सा0– सरकण्डा, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज के पति– स्व0 उज्जवल कुमार मौजा मालची नं0– 04 के पट्टाधारी प्रधान थे तथा उक्त मौजा बेचिरागी व प्रधानी मौजा है। जिसकी मृत्यू हो जाने के कारण उक्त मौजा का प्रधानी पद रिक्त हो गया है। आवेदिका स्व0 उज्जवल कुमार पूर्व प्रधान की पत्नी है तथा उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये है। आवेदिका मौजा के प्रधान पद के लिए योग्य है। अतएव उत्तराधिकारी के आधार पर अंचल अधिकारी, तालझारी द्वारा आवेदिका को प्रधान पद पर बहाल करने की अनुशंसा किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव तथा ग्रामीणों के सहमति से आवेदिका मोसमात पुनम, पति– स्व0 उज्जवल कुमार, सा0+पो0– सरकण्डा, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज को मौजा मालची नं0– 04 को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

ज्ञापांक 253/प्र0 2/8/22

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

2/5

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

2.9.2022	अभिलेख आज प्रस्तावित। नव नियुक्त प्रधान के द्वारा कागजात दाखिल किया गया है। पढ़ा निर्णय करें।
	अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

Digitally signed by KAPIL KUMAR
Date: 2024.07.08 17:14:59 +05:30
Location: 192.168.0.140

Scanned with OKEN Scanner